कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 38 / 2025

श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा वैध्य वीरेन्द्र पाण्डेय यू.को. वैंक वाली गली कोठी के मन्दिर के पास भुसावर जिला भरतपुर पिन 321406

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 7.8.2025**

अपीलार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा वैध्य वीरेन्द्र पाण्डेय यू.को. बैंक वाली गली कोठी के मन्दिर के पास भुसावर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर से बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/25/670 दिनांक 21.07.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर से पत्र क्रमांक राजस्व/एडीएम कोर्ट/25/506 दिनांक 05.08.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि:–

> "...........चाही गई सूचना के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध करकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रकरण संख्या 48/85 निर्णय दिनांक 21.10.1986 (कलक्टर (स्टाम्प) भरतपुर) की प्रमाणित प्रति चाही गई है जो कार्यालय रिकार्ड अनुसार वर्ष 1986–87 के निर्णित प्रकरण जमा रिकार्ड अभिलेखागार पंजिका के मुताविक इस बाबत् कोई रिकार्ड दर्ज नहीं है और न ही

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निर्णित होना पाया गया है। कार्यालय में जॉच करने पर पाया कि (कलक्टर (स्टाम्प) भरतपुर) से सम्बन्धित कोई प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। और न ही निर्णय जमा अभिलेखागार पंजिका अनुसार दर्ज है। इस प्रकार मुद्रांक से सम्बन्धित कोई रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ....''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संधारण लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में दर्ज होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी / अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड की उपलब्धता / रखरखाव की जानकारी हो तो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को अवगत करावें। तदनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना लम्बित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर